

फर्द अहकाम  
 विमल देवी बनाम मोतीराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 177/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरत रूप से
	<p>3/2/22</p> <p>क. वि. वि. प्र. सं. 10/2014</p> <p>पृ. 89</p> <p>प्रतिवादी मोतीराम</p> <p>वकील अडि.</p>	<p>3/2/22 पत्राचार के माध्यम से विवाह के संबंध में अहकाम जारी किया गया है। अतः पत्राचार के माध्यम से दिनांक 25/2/22 को पत्राचार किया गया है।</p> <p>फरवली पुल वस्ती में विवाह प्रमाण पत्र बनाने पर रोलत की गयी प्रमाण पत्र विवाह के माध्यम से रोलत के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। अतः इस अहकाम के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अहकाम के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अहकाम के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>उपखण्ड न्यायाधीश                  जयपुर जिला (कोर्ट)</p>